

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक- 30.12.16

संख्या-18/लो०से०अ०-12-01/2016(खण्ड) 17408/बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 4, 2011) की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19431 दिनांक-23.12.2013 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:-

- उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-1 का क्रमांक-7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“परिशिष्ट-1

क्र० सं०	विभाग का नाम/सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8
7	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। /(i) नये राशन कार्ड का निर्गमन	अनुमंडल पदाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। /(ii) राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/ नाम जोड़ना/ नाम हटाना)	अनुमंडल पदाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। /(iii) राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्दीकरण	अनुमंडल पदाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस

2. उपर्युक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-1 के बाद निम्नलिखित परिशिष्ट-11 जोड़ा जाएगा:-

“परिशिष्ट-11

सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात
(चेक लिस्ट)

सेवा का नाम	चेक लिस्ट
1. नये राशन कार्ड का निर्गमन	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'क' में । 2. आधार कार्ड का छायाप्रति । 3. बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, जिसपर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का IFSC Code रहता है । 4. आवासीय प्रमाण-पत्र . 5. विभागीय आवेदन पत्र प्रपत्र 'क' के क्रमांक 10 अथवा 11 जो लागू हो, के संबंध में शपथ-पत्र। 6. सम्पूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ ।
2. राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटाना)	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में । 2. व्यक्ति, जिसका नाम जोड़ा जाना है, के आधार कार्ड की छाया प्रति । 3. विभागीय आवेदन प्रपत्र 'ख' के क्रमांक 8 एवं 9 के संबंध में लागू कारण के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, यथा :- i. निवास में परिवर्तन हेतु आवासीय प्रमाण-पत्र ii. जन्म/मृत्यु का प्रमाण पत्र iii. राशन कार्ड में वर्णित अशुद्धियाँ जिनको शुद्ध किया जाना है, के लिए सरकारी प्रमाण-पत्र (सरकारी विद्यालय का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई0कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड आदि) ।
3. राशन कार्ड का प्रत्यर्पण (Surrender)/रद्दीकरण	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में । 2. विद्यमान राशन कार्ड का प्रत्यर्पण/रद्द करने के लिए आवेदन पत्र के क्रमांक 10 के संबंध में लागू कारण की छायाप्रति ।

सामान्य निर्देश

1. आवेदन-पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जायेगी ।
2. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किये जाएंगे ।
3. अपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
4. अहस्ताक्षरित या बिना अंगूठे के निशान के आवेदन-पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
5. हस्तलिखित, टाईप किये गये, फोटो कॉपी किये गये या एन.आई.सी. की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे, बशर्ते कि इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र के समरूप होने चाहिए ।
6. सभी आवेदन पत्र RTPS के माध्यम से लिये जायेंगे ।
7. सरकारी सेवा से तात्पर्य है केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्वशासी में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मों की सेवा ।
8. RTPS के तहत पात्र गृहस्थी द्वारा राशन कार्ड का आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा ।
9. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा RTPS के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र को एक सप्ताह के अन्दर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जांच कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस किया जायेगा ।
10. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा ।

प्रपत्र 'क'

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नया राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा-9) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कंडिका 3 का उपकंडिका 13, 14 तथा कंडिका 4 उपकंडिका 7, 8, 9 द्रष्टव्य)

पारिवारिक फोटो

1. आवेदक का नाम
2. आधार/ EID no
3. मोबाईल नं०-
4. आवेदक के पति/पिता का नाम
5. पूर्ण आवासीय पता
6. बैंक का IFSC Code
7. बैंक खाता नं०
8. बैंक तथा शाखा का नाम
9. राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण

[illegible]

आधार/ EID no	मोबाईल नं०	व्यवसाय/सेवा	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित पर हों/नहीं, पर टिक लगावे :-

- (i) मोटर चालित तिपाहिया/चार पहिया वाहन है, हों ☐ नहीं ☐
- (ii) मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हों ☐ नहीं ☐
- (iii) सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हों ☐ नहीं ☐
- (iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/- रु० से अधिक है, हों ☐ नहीं ☐
- (v) आयकर देते है, हों ☐ नहीं ☐
- (vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते है, हों ☐ नहीं ☐
- (vii) जिस मकान में रहते है, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हों ☐ नहीं ☐
- (viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हों ☐ नहीं ☐
- (ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हों ☐ नहीं ☐
- (x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हों ☐ नहीं ☐
- (xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हों ☐ नहीं ☐
अगर है तो उसका विवरण -
(क) किस सेवा में है -
(ख) कहां पदस्थापित है -
(ग) कितना मासिक आमदनी है -

11. शहरी क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित पर आवश्यकतानुसार हों/नहीं, पर टिक लगावे :-

- (i) आयकर अदा करते है, हों ☐ नहीं ☐
- (ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग एवं वर्ग घ श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु०जाति/अनु० जनजाति के समूह 'घ' के कर्मियों को छोड़कर) में है, हों ☐ नहीं ☐
अगर ☐ तो उसका विवरण -
(क) किस सेवा में है -
(ख) कहां पदस्थापित है -
(ग) कितना मासिक आमदनी है -
- (iii) व्यावसायिक कर अदा करते है, हों ☐ नहीं ☐

- (iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हों नहीं ☐ ☐
- (v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/- रु0 से अधिक है, हों ☐ नहीं ☐
- (vi) दो पहिया वाहन, रेफ्रीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण है, हों ☐ नहीं ☐
- (vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हों ☐ नहीं ☐
- (viii) गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हों ☐ नहीं ☐

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

घोषणा

महोदया/महोदय

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। मैंने इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है। अगर आवेदन-पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है, तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा।

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के अन्तर्गत :-

आवेदन पत्र - स्वीकृत ☐ अस्वीकृत ☐

अस्वीकृत का कारण -

प्रपत्र 'ख'

**लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरणो
अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender)// रद्द करने के लिए**

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा-9) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कॉडिक् 3 का

उपकॉडिका 13, 14 तथा कॉडिका 4 उपकॉडिका 7, 8, 9) द्रष्टव्य)

पारिवारिक फोटो

1. आवेदक का नाम
2. आधार/ EID no
3. मोबाईल नं०-
4. आवेदक के पति/पिता का नाम
5. पूर्ण आवासीय पता
6. विद्यमान राशन कार्ड की सं०-
7. सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति सं०-
8. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण का कारण-
(क) निवास में परिवर्तन --
(ख) जन्म या मृत्यु --
(ग) कार्ड में वर्णित ब्योरो में अशुद्धियाँ --
(घ) अन्य कारण --
9. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण हेतु विवरणी --

क्र०	नाम	पति/पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7

आधार/ EID no	मोबाईल नं०	व्यवसाय /सरकारी सेवक	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण/रद्द करने का कारण -

(क) ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हों/नहीं, पर टिक लगावे :-

- (i) मोटर चालित तिपाहिया/चार पहिया वाहन है, हों ☐ नहीं ☐
 - (ii) मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हों ☐ नहीं ☐
 - (iii) सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हों ☐ नहीं ☐
 - (iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/- रु० से अधिक है, हों ☐ नहीं ☐
 - (v) आयकर देते है, हों ☐ नहीं ☐
 - (vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते है, हों ☐ नहीं ☐
 - (vii) जिस मकान में रहते है, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हों ☐ नहीं ☐
 - (viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हों ☐ नहीं ☐
 - (ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हों ☐ नहीं ☐
 - (x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हों ☐ नहीं ☐
 - (xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हों ☐ नहीं ☐
- अगर है तो उसका विवरण -
- (क) किस सेवा में है -
 - (ख) कहाँ पदस्थापित है -
 - (ग) कितना मासिक आमदनी है -

(ख) शहरी क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हों/नहीं, पर टिक लगावे :-

- (i) आयकर अदा करते है, हों ☐ नहीं ☐
 - (ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु०जाति/अनु० जनजाति के Group 'D' के कर्मों को छोड़कर) में है, हों ☐ नहीं ☐
- अगर ☐ उसका विवरण -
- (क) किस सेवा में है -
 - (ख) कहाँ पदस्थापित है -

- (ग) कितनी मासिक आमदनी है -
- (iii) व्यवसायिक कर अदा करते हैं, हाँ ☐ नहीं ☐
- (iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/- रु० से अधिक है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (vi) दो पहिया वाहन, रेफीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण हैं, हाँ ☐ नहीं ☐
- (vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हाँ ☐ नहीं ☐
- (viii) गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हाँ ☐ नहीं ☐

उपरोक्त कंडिका के अनुसार विद्यमान राशन कार्ड में आवश्यक उपांतरण किया जाय/कंडिका के अनुसार पात्र गृहस्थियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने के कारण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय (राशन कार्ड संलग्न)

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

घोषणा

महोदया/महोदय

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ की आवेदन-पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं । अगर आवेदन पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

- 3 अधिसूचना संख्या-19431 दिनांक-23.12.2013 की शेष प्रविष्टियाँ पूर्णतः रहेंगी।
- 4 समय-समय पर सेवा प्राप्त करने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आवश्यकतानुसार इससे संबंधित अन्य प्रपत्र विधि विभाग के परामर्श के पश्चात जारी कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

अधिसूचना

संख्या-18/लो०से०अ०-12-01/2016(खण्ड)सा०प्र०/17409.../ अधिसूचना संख्या-13408/
दिनांक-2016.12.16/ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक- 15-12-17

संख्या-13/लो०से०अ०-12-01/2016(खण्ड) 11960/बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 4, 2011) की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-17403 दिनांक-30.12.2016 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:-

2. उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-1 कन संख्या-7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	विभाग का नाम/सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा	
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	खाद्य एवं उपभोगिता संरक्षण विभाग। (i) नये राशन कार्ड का निर्गमन	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरांत अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के असाध्य प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	खाद्य एवं उपभोगिता संरक्षण विभाग। (ii) राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना/नाम हटाना)	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरांत अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के असाध्य प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
	खाद्य एवं उपभोगिता संरक्षण विभाग। (iii) राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना/नाम हटाना)	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरांत अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के असाध्य प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस

उपस्थित	नगरपालिका के						
प्रमाण	सम्बन्धित						
प्रमाण							
प्रमाण							
प्रमाण	(क) अनुसूची क	अनुसूची	15 कार्य	वित्त	21 कार्य	प्रमाणित	15 कार्य
प्रमाण / रद्दीकरण	अनुसूची प्राप्त गर्ने	प्रमाणित	वित्त	प्रमाणित	वित्त	अनुसूची	वित्त
प्रमाण	के प्रमाणित						
	अनुसूची						
	सम्बन्धित एवं निर्माण						

3 अधिसूचना संख्या-17408 दिनांक-30.12.2016 के साथ संलग्न सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक कागजात (परिशिष्ट-II), सामान्य निर्देश, लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अधीन नया राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र (प्रपत्र-क) एवं लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अधीन विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender)/रद्दीकरण का (प्रपत्र-ख) पूर्ववत् रहेंगे।

4 सेवा प्राप्त करने हेतु खान एवं उपभोग संरक्षण विभाग, आवश्यकतानुसार समय-समय पर इससे संबंधित अन्य प्रपत्र, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात, जारी कर नकल।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे)

सरकार के अपर सचिव

संख्या-16/लो0से0अ0-12-01/2016(खण्ड)सा0प्र0...../पटना 15 दिनांक-.....

प्रांति-पंथी पदाधिकारी राजद प्रकाशन कोषाग वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0-सी डी।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

संख्या-16/लो0से0अ0-12-01/2016(खण्ड)सा0प्र01960./पटना 15 दिनांक-15-3-17

प्रांति-पंथी विभाग/विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

15 Sep 17